

पायालय नायब तहसीलदार रुपनगढ जिला-अजमेर

राजस्व मुकदमा नं.
उनवान

05/2022

किस्म मुकदमा अंतर्गत धारा 91
राज.भू राजस्व अधि. 1956

सरकार जरिये प0ह0रघुनाथपुरा

बनाम

श्री नन्दाराम पुत्र श्री चौथूराम जाति
गुर्जर नि. रामगढ

निर्णय

दिनांक:- 23.02.2022

पत्रावली पेश हुयी। अप्रार्थी की ओर पुत्र रामेश्वर उपस्थित होकर अतिक्रमण छोडने हेतु निवेदन किया। अतः मामला निर्णित किया जाता है।

प्रकरण संक्षिप्त मे इस प्रकार से है कि ग्राम रामगढ के आराजी खसरा नंबर 120 किस्म गै.मु.स्कूल रकबा 0.0809 हैक्टर भूमि पर बाड़ा बनाकर अप्रार्थी ने कब्जा कर लिया गया है जिसकी रिपोर्ट पटवारी हल्का की प्राप्त होने पर मामला अंतर्गत 91 राज.भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस से तलब किया गया। अप्रार्थी उपस्थित होकर अतिक्रमण करना स्वीकार कर छोडने का निवेदन किया।

अतः आदेश दिये जाते है कि अप्रार्थी को ग्राम रामगढ के आराजी खसरा नंबर 120 किस्म गै.मु.स्कूल रकबा 0.0809 हैक्टर से बेदखल किया जाता है तथा लगान 0.10 का 50 गुणा 05/-रुपये जुर्माना किया जाता है तथा अप्रार्थी को विवादग्रस्त आराजी से भौतिक रुप से बेदखल करने के आदेश दिये जाते है।

पटवारी/टी.आर.ए.मांग कायमी कर वसूली करे तथा विवादित भूमि पर से



भौतिक रुप से बेदखल कर कब्जा लेकर रिपोर्ट पेश करे।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। मुकदमा नम्बर

से कम हो पत्रावली बाद पूर्ति संग्रह भण्डार हो।

वर्ष 2021-22 रा.ले.सं. 4 के पृष्ठ नं. 17 पर रा. 5/- की मांग कायमी की गई।
तहसील राजस्व लेखाकार

नायब तहसीलदार
रुपनगढ (अजमेर)
तहसील रुपनगढ (अजमेर)